न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

रसद विविध :: 11/2018 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीः–
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, पाली		रणछोड़दास पूनमदास निवासी 164, झीलों का बास, गिरादड़ा, पाली हाल– मालिक मैसर्स गिरधर गोपाल किराणा स्टोर, 9, न्यू प्रताप नगर, पाली, जिला पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 15/10/18

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध उसके व्यावसायिक परिसर मैसर्स गिरधर गोपाल किराणा स्टोर, 9, न्यू प्रताप नगर, पाली, जिला पाली (राज.) से वक्त निरीक्षण दिनांक 13.04.2018 को मौके पर 10 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) जिनमें 3 सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी के जो क्रमशः 14.100 किग्रा, 11.800 किग्रा व 14.000 किग्रा गैस से भरे हुए व 3 इण्डेन कम्पनी के खाली सिलेण्डर तथा 4 सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी के जो क्रमशः 14.100 किग्रा, 14.200 किग्रा, 14.000 किग्रा व 14.100 किग्रा गैस भरे हुए का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग व संग्रहण किए जाने पर जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब व लिखित बहस पेश की तथा सरकारी पैरोकार ने भी लिखित बहस पेश की जिनका अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में उल्लेख किया कि दिनांक 13.04.2018 सांय 5.15 बजे को घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी की रोकथाम हेतु सुश्री भावना दयाल, प्रवर्तन निरीक्षक, रानी के साथ पाली शहर स्थित अप्रार्थी के व्यावसायिक परिसर मैसर्स गिरधर गोपाल किराणा स्टोर, 9, न्यू प्रताप नगर, पाली, जिला पाली (राज.) पर पहुचें। मौके पर अप्रार्थी श्री रणछोड़दास पुत्र पूनमदास उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह स्वयं ही प्रतिष्ठान का मालिक है। प्रार्थी ने मौके पर रूबरू मौतबिरान श्री गंगादास पुत्र मंगलदास, निवासी ग्राम मण्डिया, तहसील पाली एवं श्री नारायणलाल पुत्र झालाराम निवासी न्यू प्रताप नगर पाली की उपस्थिति में अप्रार्थी के व्यावसायिक परिसर की जांच करने पर 10 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) जिनमें 3 सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी के जो क्रमशः 14.100 किग्रा, 11.800 किग्रा व 14.000 किग्रा गैस भरे हुए व 3 इण्डेन कम्पनी के खाली सिलेण्डर तथा 4 सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी के जो क्रमशः 14.100 किग्रा, 14.200 किग्रा, 14.000 किग्रा व 14.100 किग्रा गैस से भरे हुए पाये गये तथा फर्द जब्ती एवं सुपुर्दगी पर मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये गए। अप्रार्थी द्वारा मौके पर एक सिलेण्डर को स्वयं का होना बताया, जो रसोई में लगा हुआ था तथा उसके विधिक दस्तावेज बताने पर उसके अलावा शेष जब्त सिलेण्डर के अप्रार्थी से विधिक दस्तावेज मांगने पर भरे हुए घरेलु गैस सिलेण्डर संग्रहण करने अथवा बिक्री करने से संबंधित किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज नहीं पाये गए। अप्रार्थी द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी ने मैसर्स लक्ष्मी इण्डेन गैस पाली के प्रतिनिधी से उपरोक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों का तौल हैंगिंग स्केल मंगवा कर करवाया गया तथा इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए एवं संग्रहण करते हुए पाए जाने के फलस्वरूप द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु मैसर्स लक्ष्मी इण्डेन गैस, पाली के प्रतिनिधी श्री प्रतापसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, निवासी 222–डी, कमला नेहरू नगर,

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

जोधपुर हाल प्रोपराईटर मै. लक्ष्मी इण्डेन गैस, पाली को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में मौके पर मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स भी लिए गये जो पत्रावली संलग्न है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डरो को बिना वैध परमिट के संग्रहण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए, सी की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि जब्तसुदा 10 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) जिनमें 3 सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी के जो क्रमशः 14.100 किग्रा, 11.800 किग्रा व 14.000 किग्रा गैस से भरे हुए व 3 इण्डेन कम्पनी के खाली सिलेण्डर तथा 4 सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी के जो क्रमशः 14.100 किग्रा, 14.200 किग्रा, 14.000 किग्रा व 14.100 किग्रा गैस से भरे हुए को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब एवं लिखित बहस में उल्लेख किया कि अप्रार्थी अपने व्यावसायिक परिसर में किराणा के दुकान का संचालन करता है न की अवैध घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यापार। अप्रार्थी की दुकान के बाहर खुला स्थान होने से तथा आस–पास के गांव व मौहल्ले का तंग रास्ता होने की वजह से गैस कम्पनी वाले गैस सिलेण्डर वितरण हेतु उसकी दुकान के सामने रख देते है तथा वहीं से वितरण का कार्य करते है। अप्रार्थी के मकान में चार किरायेदार रहते है जो की दिन में काम पर चले जाते है, इस हेतु वे अपनी–अपनी गैस डायरियां व खाली टंकिया अप्रार्थी के मकान में सीढ़ियों के नीचे रख जाते है, जिससे की उनकी अनुपस्थिति में उनके सिलेण्डर ले सके। जिनको प्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान में बताकर जब्त कर लिया एवं जब इनकी डायरियां अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बताई गई तो उन्होंने डायरियों को रेकर्ड पर लेने से मना कर दिया। इनके अलावा भी अप्रार्थी ने अन्य जब्त सिलेण्डर जो की दुसरे लोगों के जो अप्रार्थी के प्रतिष्ठान के बाहर गैस कम्पनी के वितरण करने वाले से उनकी अनुपस्थित में लेने हेतु रख कर गए थे। उनको भी प्रार्थी द्वारा जब्त करने पर उनके संबंध में भी उनकी डायरियां बताई व स्थिति से अवगत कराया, लेकिन प्रार्थी ने न तो उसकी सुनी तथा न ही डायरियों को रेकर्ड पर लिया तथा बाहर पड़े सिलण्डरों को प्रतिष्ठान के अन्दर से जब्त करना बताया। अप्रार्थी ने अपने जवाब के साथ नौ व्यक्तियों के शपथ पत्र पेश किए है, जिनमें अप्रार्थी द्वारा मानवता के नाते किरायदारों एवं अन्य लोगों के गैस सिलेण्डर लेने व उसके द्वारा अवैध घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यापार नहीं करने का उल्लेख है तथा न ही उसे अवैध घरेलू गैस बेचाण करते हुए पकड़ा गया है। उपरोत सभी तथ्यों के आधार पर जब्त सुदा गैस सिलेण्डरों के संबंध में विनम्र भाव रखते हुए सिलेण्डरों के वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द करने का आदेश फरमावें।

सरकारी पैरोकार की लिखित बहस एवं अधिवक्ता अप्रार्थी के जवाब व लिखित बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अप्रार्थी के व्यावसायिक परिसर मैसर्स गिरधर गोपाल किराणा स्टोर, 9 न्यू प्रताप नगर, पाली, जिला पाली (राज.) से वक्त निरीक्षण दिनांक 13.04.2018 को मौके पर 10 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) जिनमें 3 सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी के जो क्रमशः 14.100 किग्रा, 11.800 किग्रा व 14.000 किग्रा गैस भरे हुए व 3 इण्डेन कम्पनी के खाली सिलेण्डर तथा 4 सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी के जो क्रमशः 14.100 किग्रा, 14.200 किग्रा, 14.000 किग्रा व 14.100 किग्रा गैस से भरे हुए दौराने निरीक्षण पाये गये तथा उक्त सामग्री के संबंध में अप्रार्थी अपना कोई स्पष्ट जवाब प्रार्थी के समक्ष पेश नहीं कर पाया तथा किसी व्यक्ति द्वारा वैध लाईसेन्स या अनुज्ञा पत्र के अभाव में अपने प्रतिष्ठान/निवास पर एक साथ 10 सिलेण्डर जिनमें 7 भरे हुए तथा 3 खाली का संग्रहण किया जाना विधी विरूद्ध है। वकील अप्रार्थी द्वारा वक्त बहस मैसर्स गिरधर गोपाल किराणा स्टोर पाली का मालिक होना बताया है तथा सिलेण्डर भी उसी किराणा के व्यावसायिक परिसर से जब्त किए गए है। अप्रार्थी जब्त सुदा सिलेण्डर को अन्य व्यक्तियों के होना व उसके यहां भरने के लिए रखना बताया है तथा यह भी उल्लेख किया है कि सभी उपभोक्ता उसके आस–पास रहते है तथा जहां रहते है उनके घरों की गलियां तंग है। इस कारण से भरने के लिए उसकी दुकान के बाहर रख कर

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

जाते है। जबकि वकील अप्रार्थी द्वारा उपभोक्ता की गैस डायरियों की छायाप्रतियों में अंकित पते उसके आस पड़ौस के नहीं होकर गून्दोज, डेण्डा, कुलथाणा, रूपावास, गिरादड़ा, पुनायता रोड, शेखावत नगर, रामदेव कॉलोनी आदि विभिन्न स्थानों के है। विभिन्न कम्पनियों यथा रूचिता गैस, पाली गैस सर्विस, वासुदेव गैस सर्विस, लक्ष्मी इण्डेन गैस सर्विस, गीता गैस सर्विस आदि की है। इससे प्रतीत होता है कि डायरियां एकत्र कर मात्र जब्तसुदा सिलेण्डर अन्य उपभोक्ताओं के बताकर उनको जब्ती से मुक्त करने का प्रयास मात्र है तथा यह मान भी लिया जाए कि सिलेण्डर अन्य उपभोक्ताओं के है, तो उनके द्वारा दर्शाये पते पर ही सिलेण्डर डिलीवरी करने का प्रावधान है तथा इसके लिए संबंधित एजेन्सी द्वारा चार्ज भी वसूला जाता है तथा उपभोक्ता द्वारा पता बदलवा दिया गया है तो एजेन्सी द्वारा प्रदत उपभोक्ता डायरी में पते में बदलाव करवाना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया फिर भी अलग–अलग कम्पनी की एजेन्सी द्वारा अलग उपभोक्ताओं के पते के बावजूद गिरधर गोपाल किराणा स्टोर पर सिलेण्डर सप्लाई करने का न तो आधार है तथा न ही औचित्य पेश किया गया है तथा उपभोक्ता के स्थान पर किसी अन्य को भरे हुए सिलेण्डर प्रदाय करना भी विधी सम्मत व न्यायोचित नहीं है न ही सिलेण्डर प्राप्त करने की सरलता व सुगमता को घरेलू गैस सिलेण्डर को अन्यत्र एक व्यावसायिक परिसर में एक ही व्यक्ति के पास होने को भी न्यायोचित मानने का आधार है, न ही इस बाबत संबंधित एजेन्सी ने पत्र द्वारा अथवा अन्य माध्यम से यह जाहिर किया है कि उनको सिलेण्डर गिरधर गोपाल किराणा स्टोर पर डिलीवरी देने हेतु कहा गया था एवं उनके कथनानुसार डिलीवरी दे रहे है, न ही ऐसा प्रावधान है। एक ही स्थान पर एक ही व्यक्ति द्वारा 10 घरेलू सिलेण्डर की डिलीवरी एक साथ नहीं ले सकते है। प्रस्तुत शपथ पत्रों के अनुसार जिसके नाम का उपभोक्ता कनेक्शन है, आदमी हो या औरत वही काम पर जाना बताया है। जबकि ऐसा होना तथ्यों से परे होने से सभी कार्यवाही एवं दस्तावेज प्रायोजित है एवं विधी विरूद्ध है। जवाब के साथ प्रस्तुत उपभोक्ताओं के शपथ पत्रों में कुछ उपभोक्ता अप्रार्थी के किरायेदार है, लेकिन उन में से किसी की भी किराया चिट्ठी पेश नहीं की गई है, न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में किरायेदार होने के कथन को सत्य मानने का कोई आधार नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से प्राप्त विभिन्न गैस कम्पनियों के सिलेण्डरों का उपयोग वह अवैध रूप से संग्रहण कर विक्रय किया जाना प्रतीत होता है तथा उसके द्वारा जो शपथ पत्र पेश किए गए है। वे मात्र अपनी कालाबाजारी को छुपाने तथा न्यायालय को भर्मित करने की नियत से पेश किए है। ऐसी परिस्थिति में अप्रार्थी श्री रणछोड़ दास द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए. सी. की अवहेलना किए जाने से जब्त सुदा 10 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायकि परिस में घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध संग्रहण किए जाने 10 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) जिनमें 3 सिलेण्डर इण्डेन कम्पनो के जो क्रमशः 14.100 किग्रा, 11.800 किग्रा व 14.000 किग्रा गैस भरे हुए व 3 इण्डेन कम्पनी के खाली सिलेण्डर तथा 4 सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी के जो कमशः 14.100 किग्रा, 14.200 किग्रा, 14.000 किग्रा व 14.100 किग्रा गैस से भरे हुए पाये गये को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरो को मय गैस संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर उससे प्राप्त राशि को राजकीय कोष में जमा कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 15/10/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)